News item under caption 'The rich make beeline for plots"

2659. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Hindustan Times dated 21st January, 1992 under caption "the rich make a beeline for plots', and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) As reported by Municipal Corporation of Delhi, action as per Delhi Municipal Corporation Act|Building Bye Laws is taken as and when unauthorised construction is detected. In Alipur area 101 cases of unauthorised construction are reported to have been booked in the past five years.

Privatisation of Municipal bodies

2660. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to privatise municipal bodies in the country;

(b) if so, what are the details thereof alongwith its financial implithereto?

(c) the outcome of the study, if any undertaken for giving a shape to the proposals by the Bombay based organisation, the infrastructure leasing and Finance Corporation; and

(d) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The subject of the Local Government that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations etc. and of the other local authorities for the purpose of Local Self Govt. falls within the State List of the Constitution of India. It is, therefore, for the State Governments to take decisions on issues concerning privatisation of Municipal Bodies.

(c) The Govt. of India is not aware of any such study.

(d) In view of reply to part (c) above, question does not arise.

सरिता विहार, दिल्ली में मस्जिद का गिराया जाना

2661. **श्री मोहम्मद अफ़जल उर्फ मीम अफ़जल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरिता विहार, दिल्ली में एक मस्जिद को गिरा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस कार्य के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरिता विहार में कोई मस्जिद नहीं गिराई गई है। गांव मदन पुर खादर के खसरा संख्या 14/25 में अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए गिराने की कार्रवाई 9-1-92 को की गई थी । यह भूमि अधिग्रहित की गई थी और तब दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 22(1) के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित की गई थी । दिल्ली विकास प्रयधिकरण ने भूमि का कब्जा 4-5-1977 को लिया था ।

अन्य पास वाला खसरा संख्या 14/27 लगभग 4 बिस्वा क्षेत्रफल अधिग्रहित नहीं किया गया था क्योंकि भूमि रिकार्ड रजिस्टर के अनुसार इस पर एक दरगाह मौजूद थी । इस भूमि पर गिराने सम्बन्धी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांग व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

2662. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय में विकलांग व्यक्तियों को दुकानें आवंटित करने का कोई विशेष कोटा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवंटन का मापदण्ड क्या है ;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे आवंटन के लिए विकलांग व्यक्तियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किये जाने और उन्हें दुकानें आवंटित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आठ।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित पड़े सम्पत्ति सम्बन्धी मामले

2663. **श्री मोहम्मद अफ़जल उर्फ मीर अफ़जल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के पास सम्पत्ति सम्बन्धी कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने-कितने मामले निपटाये गए ;

(ग) न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए ; और

(घ) सरकार झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को दूसरी जगह पर बसाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31-1-1992 की स्थिति के अनुसार स्लम तथा झुग्गी-झोंपड़ी विंग-II के पास सम्पत्तियों से सम्बन्धित 3832 मामले लम्बित पड़े थे ।

(ख) अनधिकृत निर्माण/आवंटन लीज अतिक्रमण परिसमापन

वर्ष			
1988-89	78	166	496
1989-90	114	34	332
1990-91	78	83	312

(ग) जनवरी 1992 की स्थिति के अनुसार स्लम सम्पत्तियों से सम्बन्धित 108 मामले दीवानी अदालतों में लम्बित बताए गए हैं ।

(घ) बृहत्त योजना की आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक जनहित में वर्तमान नीति, पता लगाए गए झुग्गी-झोंपड़ी परिवारों को उस पर विचार करती है यह भूमि स्वामित्व ऐजेंसियों को अतिक्रमित भू-खण्डों पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पड़ती है और ये ऐजेंसियां परियोजना-कार्यान्वय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुग्गी-झोंपड़ी समूहों को पुनः स्थापित करने के अनुरोध प्रस्तुत करते हैं ।